/ / 1 / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 31 / 2021

उनवान

1. रामनिवास पुत्र मंगला
2. जगदीश पुत्र मंगला
3. मीरा पत्नी कैलाश
4. काली पुत्री कैलाश ना.बा.
5. गोरा पुत्री कैलाश ना.बा.
6. राहुल पुत्र कैलाश ना.बा. जरियें प्राकृतिक संरक्षक माता खुद मीरा पत्नी कैलाश जाति नायक, नि. मण्डियानी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— 10·8·21

अधिवक्ता वादी उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानुपरा की निम्न आराजी वादीगण की आवंटनशुदा है :—

चौसाला जमाबंदी		वंर्किंग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
208 मिन	15—0—0	235 मिन	1.15	554	1.15
		235 मिन	0.32	555	0.32
		235 मिन	0.57	552	0.57
		235 मिन	0.22	551	0.22
		235 मिन	0.19	550 / 1798	0.19
		23[illegible]	[illegible]	[illegible] / 1799	0.15
		235 मिन	0.[illegible]	553 / 1946	0 14
		23[illegible]	0.65	552 / 2018	0.65

उक्त आराजी वादी संख्या 3 के स[illegible] 1 [illegible] 2 के [illegible] तथा वादी संख्या 4 [illegible] 6 के दादा मंगला पि0 किशना नायक के नाम [illegible] 208 मिन रकबा 15—0—0 [illegible]वटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 29.07.1964 को किया गया था। आवंटन आदेश की पालना में उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में गैर खातेदारी अंकित की गयी। नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 01.09.1998 तथा नामान्तकरण संख्या 202 से खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 3–10–0 मंगला पुत्र किशना के नाम व नामान्तकरण संख्या 219 से मंगला के वारिसान के नाम खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 2–9–0 गैर खातेदारी अंति की गयी। वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आवंटन दिनांक से वादीगण/पूर्वज का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त आराजी के हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। हाल खसरा नम्बर 551 रकबा 0.22, 549/1799 रकबा 0.15, 552 रकबा 0.57 का खातेदर नियमानुसार. मंगला व उसके वारिसान को दर्ज कर दिया किन्तु हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 1.15, 555 रकबा 0.32, 553/1946 रकबा 0.14, 552/2018 रकबा 0.65, 550/1798 रकबा 0.19 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 15–0–0 चौसाला जमाबंदी में मंगला पुत्र किशना नायक के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने का नोट अंकित है। उक्त इन्द्राज बिना नामान्तकरण के दर्ज किये जाने से बिन्दु खारिज फरमाया जावे। आराजी मुतनजा वर्तमान रेकार्ड में सिवायचक होने के कारण वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

— — वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— — वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण नही होने से व आराजी मुतनाजा सिवायचक होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

— — प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी जगदीश व गवाह ओमप्रकाश के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने पटवारी हल्का के बयान करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादीगण का कथन है कि ग्राम मण्डियानी के चौसाला खसरा नम्बर 208 मिन वर्किंग खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 15–0–0 का आवंटन उनके पूर्वज मंगना पुत्र किशना जाति नायक को दिनांक 29.07.1964 को किया गया था। [illegible] में वादीगण ने आंवटन आदेश व पट्टा पेश किया है। उक्त दस्तावेज के अनुसार [illegible] किशना को चौसाला खसरा नम्बर 208 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन किया गया [illegible] खसरा गिरदारी सम्वत् 2020 से 223, 2024 से 2027, [illegible] से 2035 में भी खसरा नम्बर 208 में मंगला पुत्र किशना जाति नायक [illegible] अंकित है। वादी व गवाह के बयान से भी वादीगण के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे की पुष्टि होती है। उक्तानुसार वादीगण द्वारा

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन मंगला पुत्र किशना को हुआ है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :– तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 208 वंर्किग खसरा नम्बर 235 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन वादीगण के पूर्वज को विधिवत किया गया। उक्त आवंटन के अतिरिक्त वंर्किग खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 2–9–0 नामान्तकण संख्या 219 दिनांक 30.5.85 द्वारा मंगला के वारिसों के नाम गैर खातेदारी व नामान्तकरण संख्या 99 द्वारा खातेदारी अंकित हुआ। नामान्तकरण संख्या 202 द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 208 वंर्किग खसरा नम्बर 235 रकबा 3–10–0 छोटी पट्टी के तहत मंगला पुत्र किशना के नाम खातेदारी दर्ज किया गया। उक्त दोनो नामान्तकरण में दर्ज वंर्किग खसरा नम्बर 235 के रकबे 2–9–0 व 3–10–0 के हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.57, 551 रकबा 0.22 व 549/1799 रकबा 0.15 वादीगण के नाम हाल राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 208 वंर्किग खसरा नम्बर 235 रकबा 15–0–0 के हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 1.15, 555 रकबा 0.32, 553/1946 रकबा 0.14, 552/2018 रकबा 0.65, 550/1798 रकबा 0.19 को सिवायचक दर्ज कर दिया। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व साक्ष्य से सिद्व होता है। खसरा गिरदावरी व मौखिक साक्ष्य से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा भी प्रमाणित है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन व कब्जे के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगणइन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने कक अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 1.15, 555 रकबा 0.32, 553/1946 रकबा 0.14, 552/2018 रकबा 0.65, 550/1798 रकबा 0.19 पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। ...

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामनिवास बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 31/2021
पेश करने की दिनांक — 02.03.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर सीताराम रावत अभिभाषक मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 1.15, 555 रकबा 0.32, 553/1946 रकबा 0.14, 552/2018 रकबा 0.65, 550/1798 रकबा 0.19 पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 10 माह 08 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner